

पत्र संख्या : ७वि.शा./मु.मेदिनी.-०१-०६/२०१९- ६०

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

अरुण कुमार सिंह
अपर मुख्य सचिव।

सेवा में,

मुख्य अभियंता, मेदिनीनगर/हजारीबाग;
संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित कार्यपालक अभियंता—सह—निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी।
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड।

राँची, दिनांक: १९/८/१९

विषय :— वित्तीय वर्ष 2016–17, 2017–18 एवं 2018–19 में जल संसाधन विभाग, झारखण्ड अंतर्गत सिंचाई दे रही वृहद एवं मध्यम सिंचाई योजनाओं के सामान्य सम्पोषण/अनुरक्षण कार्य का बकाया भुगतान हेतु 49.87 लाख (रुपये उनचास लाख सतासी हजार) मात्र निधि का आवंटन।

प्रसंग :— प्रशासनिक र्हीकृत्यादेश संख्या—44/16–17, दिनांक —19.09.2016, 55/17–18, दिनांक —07.11.2017 एवं 35/18–19, दिनांक 01.11.2018

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2019–20 में परिशिष्ट—१ एवं २ में वर्णित कार्यों पर व्यय हेतु बजट मुख्य शीर्ष 4701—मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय के अंतर्गत दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालयों को आवंटन संसूचित किया जाता है :—

क्र०	मॉग संख्या/मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष/उप शीर्ष	विस्तृत शीर्ष/विपत्र कोड़	आवंटित राशि
1	2	3	4	5
1.	49—जल संसाधन विभाग/ 4701—मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय/80—सामान्य	800—अन्य व्यय/ 46—सिंचाई योजनाओं का पुनरर्थापन	05—निर्माण/ 45—निर्माण कार्य विपत्र कोड— 49S470180800460545	17.56 (लाख रु.)
2.	49—जल संसाधन विभाग/ 4701—मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय/80—सामान्य	789—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना/46—सिंचाई योजनाओं का पुनरर्थापन	05—निर्माण/ 45—निर्माण कार्य विपत्र कोड— 49S470180789460545	32.31 (लाख रु.)
				49.87

आवंटित राशि —₹ उनचास लाख सतासी हजार मात्र।

- आवंटित राशि वर्ष 2019–20 के बजट उपबंध राशि 49S470180800460545—₹ 1494.00 लाख (चौदह करोड़ चौरानबे लाख) तथा 49S470180789460545—₹ 900.00 लाख (नौ करोड़) मात्र के अंतर्गत है।
- आवंटित राशि के निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि. (2) दिनांक 17.04.98, 1800 (वि.) दि. 15.07.2003, 1363 दि. 09.05.2016 एवं 2747/वि., दिनांक—19.09.2016 के आलोक में होगा।
- आवंटित राशि का व्यय प्रशासनिक र्हीकृति एवं तकनीकी र्हीकृति के अंतर्गत र्हीकृत वार्षिक कार्यक्रम के अनुरूप किया जायेगा।
- संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता अपने परिक्षेत्राधीन कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय समीक्षा स्वयं करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि व्यय निर्धारित नियमों के अनुरूप हो।
- राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।

२१/८/१९

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि.)


21/8/19
(रमेश कुमार दूबे)
विशेष सचिव

J

8. सरकारी नियम/अधिनियम यथा वन संरक्षण अधिनियम 1980 आदि का उल्लंघन नहीं हो यह सुनिश्चित किया जाय।
9. राशि की निकासी कर उसे चालू/बचत खाता में नहीं रखा जाय।
10. आवंटित राशि से दायित्व का भुगतान या अन्य मद में व्यय बिना अनुमति के नहीं किया जाय।
11. जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उसी शीर्ष के अंतर्गत भारित करेंगे। प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो, अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जगवादेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
12. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
13. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार रॉची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
14. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यर्पण 31 मार्च 2020 के पूर्व तक निश्चित रूप से कर देंगे। साथ ही यदि किसी इकाई में आवंटित राशि का तत्काल व्यय संभव न हो तो अतिरेक राशि का यथाशीघ्र प्रत्यार्पण कर दिया जाय। राशि का प्रत्यार्पण, Online उप शीर्षवार किया जाय एवं पूर्ण प्रत्यार्पण प्रतिवेदन Hard Copy में Access No तथा Revoke No/Surrender No (संबंधित LOC No सहित) का भी आवश्यक रूप से उल्लेख करते हुए उपलब्ध कराया जाय।

नोट : आवंटित राशि को Online Allotment System द्वारा निर्गत किया जा चुका है जिसका Access no परिशिष्ट-1 एवं 2 के संतंभ-12 में अंकित है। यह आवंटनादेश जल संसाधन विभाग के वेब साईट (<http://www.wrdjharkhand.nic.in>) पर भी उपलब्ध है।


अनुलग्नक—यथोक्त।


 (अरुण कुमार सिंह) 19.7.19
 अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक :— 60

प्रतिलिपि :— महालेखाकार (लेखा एवं हक.) झारखण्ड पो. — हिनू रॉची/कोषागार पदाधिकारी, डोरणा/रॉची/मेदिनीनगर/गढ़वा/पलामू/हजारीबाग सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक—यथोक्त।


 (अरुण कुमार सिंह) 19.7.19
 अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक :— 60

रॉची, दिनांक :— 19/7/19


प्रतिलिपि :— अपर मुख्य सचिव योजना-सह—वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो.) रॉची/अभियंता प्रमुख—I एवं II जल संसाधन विभाग/संयुक्त सचिव (अभि.)/उप सचिव (अभि.), जल संसाधन विभाग/प्रशाखा-7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/सांख्यिकी पदाधिकारी जल संसाधन विभाग/अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, रॉची/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक—यथोक्त।



(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि.)

19/7/19
 (रमेश कुमार दूबे)
विशेष सचिव


 (अरुण कुमार सिंह) 19.7.19
 अपर मुख्य सचिव

विभागीय पत्रांक..... 60

दिनांक १९।२।।९

का अनुलग्नक

परिशिष्ट -1

मैंग सोरख्या-४९-जल संसाधन विभाग
मुख्य शीर्ष-४७०१ मध्यम सिचाई पर पूँजीगत परियाय,
उप-मुख्य शीर्ष-८०-सामान्य,

लघु शीर्ष-८००-अन्य व्यय

उप शीर्ष - ४६- सिचाई योजनाओं का पुनर्स्थोपन ।

विस्तृत शीर्ष-०५-निर्माण, ४५-निर्माण कार्य, ४९।४७०।१८०।००।४६०।५।४५

वित्तीय वर्ष 2019-20 में बजट उपबंध रु 1494.00 लाख (चौदह करोड़ चौरानबे लाख) रुपये मात्र

क्र. प्रमंडल का नाम	मुख्य अधिकारी	योजना का नाम	प्रशासनिक स्थीर्यति की			वित्तीय वर्ष 2019-20 में आवंटन	On-line Allotment Access No.	अनुमति
			प्रसंग	राशि	तक का व्यय			
1 2	3 4	5 6	7 8	9 10	11 12	13		
1 करवन बँध प्रमंडल, नगर उठारी, गढ़वा (GRHRIRR013)	2 जलपथ प्रमंडल विझुनपुर पाटन (PLMIRRO95)	3 गोनिटरिस्ट एवं मेडिनीनगर (PLMIRR007)	4 अनुसंधान प्रमंडल, गढ़वा (GRHRIRR001)	5 प्रमंडल, पलामू (PLMIRR081)	6 महिनीनगर			

वित्तीय वर्ष 2016-17 में जल संसाधन विभाग, झारखण्ड अंतर्गत सिंचाई दे रही वृहद् एवं मध्यम सिंचाई योजनाओं के सामान्य सम्पोषण/अनुरक्षण कार्य हेतु।

44 / 16-17 प्र०खी० दिनांक 19.09.2016
Online AA-1387/21.09.16

आवंटित राशि -₹ सत्रह लाख छप्पन हजार मात्र।

(रमेश कुमार सिंह)

उप सचिव (आमै०)

(रमेश कुमार सिंह)

विशेष सचिव

योग	0.00	17.56	17.56	17.56	17.56	17.56	17.56	17.56
प्रमंडल अंतर्गत 4 अवृत्ति सिचाई योजना का वार्षिक सम्पोषण एवं नियोजित नौसभी मजदूरों के परिश्रान्ति का मुद्रांकन।	1.850	0.00	0.00	1.85	1.85	1.85	42277	
प्रमंडल अंतर्गत 4 अवृत्ति सिचाई योजना का वार्षिक सम्पोषण एवं नियोजित नौसभी मजदूरों के परिश्रान्ति का मुद्रांकन।	6.180	0.00	0.00	5.20	5.20	5.20	42278	
प्रमंडल अंतर्गत 4 अवृत्ति सिचाई योजना का वार्षिक सम्पोषण एवं नियोजित नौसभी मजदूरों के परिश्रान्ति का मुद्रांकन।	7.370	0.00	0.00	2.18	2.18	2.18	42279	
प्रमंडल अंतर्गत 4 अवृत्ति सिचाई योजना का वार्षिक सम्पोषण एवं नियोजित नौसभी मजदूरों के परिश्रान्ति का मुद्रांकन।	6.180	0.00	0.00	5.20	5.20	5.20	42278	

मार्ग संख्या-४९-जल संसाधन विभाग
मुख्य शीर्ष-४७०१-मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परियोग

उप मुख्य शीर्ष-८०-सामान्य

लघु शीर्ष-४९-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना

उप शीर्ष-४६-सिंचाई योजनाओं का पुनर्स्थापन।

विस्तृत शीर्ष-०५-निर्माण ४५-निर्माण कार्य


विपत्र कोड- 49S470180789460545

वितीय वर्ष 2019-20 में बजट उपबंध रु. 900.00 लाख (नो करोड़) मात्र।

(राशि लाख ₹ में)

क्र.	प्रमंडल का नाम	मुख्य अभियंता	योजना का नाम	प्रायोगिक स्थिरता की		मार्च 2019	वितीय वर्ष 2018-19 में आवंटन			योजना पर कुल अद्यतन आवंटन (7+10)	On-line Allotment Access No.	अम्बुक्षित
				राशि	प्रसंग		पूर्व का आवंटन	वर्तमान आवंटन	कुल आवंटित राशि			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	जलपथ प्रमंडल (PLMMIR095)	विश्वनाथ प्रमंडल पाठन	वितीय वर्ष 2018-19 में जल संसाधन विभाग, आरखण्ड अंतर्गत सिंचाई देव हृषी वृहद् एवं मध्यम सिंचाई योजनाओं के सामान्य सम्पोषण/अनुरक्षण कार्य हेतु।	35/18-19 प्र.रद्दी दिनांक 01.11.2018	27.40	0.00	0.00	6.58	6.58	6.58	42358	नार्क कोयल जलाशय योजना का वाइक संपोषण एवं नियोजित सौमनी भजदूरों के प्रशिक्षित का प्रांडल अंतर्गत ७ अवद सिंचाई योजना का वाइक सम्पोषण एवं नियोजित सौमनी भजदूरों के प्रशिक्षित का भुगतान
2	जलपथ प्रमंडल (PLMMIR003)	मेदिनीनगर	वितीय वर्ष 2017-18 में जल संसाधन विभाग, आरखण्ड अंतर्गत सिंचाई देव हृषी वृहद् एवं मध्यम सिंचाई योजनाओं के सामान्य सम्पोषण/अनुरक्षण कार्य हेतु।	Online AA- 1479/02.11.18	34.81	0.00	0.00	14.79	14.79	14.79	42360	नार्क कोयल जलाशय योजना का वाइक संपोषण एवं नियोजित सौमनी भजदूरों के प्रशिक्षित का भुगतान
3	रुद्रपंक्ष प्रमंडल सं०-२, मेदिनीनगर (PLMMIR001)	मेदिनीनगर	वितीय वर्ष 2016-17 में जल संसाधन विभाग, आरखण्ड अंतर्गत सिंचाई देव हृषी वृहद् एवं मध्यम सिंचाई योजनाओं के सामान्य सम्पोषण/अनुरक्षण कार्य हेतु।	55/-१७-१८ प्र.रद्दी दिनांक 07.11.2017 Online AA- 1536/08.11.17	0.62	0.00	0.00	0.62	0.62	0.62	42364	नार्क कोयल जलाशय योजना का वाइक संपोषण एवं नियोजित सौमनी भजदूरों के प्रशिक्षित का भुगतान
4	जलपथ प्रमंडल, हजारीबाग (HZBIRR008)	हजारीबाग	वितीय वर्ष 2016-17 में जल संसाधन विभाग, आरखण्ड अंतर्गत सिंचाई देव हृषी वृहद् एवं मध्यम सिंचाई योजनाओं के सामान्य सम्पोषण/अनुरक्षण कार्य हेतु।	44/-१६-१७ प्र.रद्दी दिनांक 19.09.2016 Online AA- 1387/21.09.16	11.82	0.00	0.00	10.32	10.32	10.32	42367	प्रमंडल अंतर्गत ११ अवद सिंचाई योजना का वाइक संपोषण एवं नियोजित सौमनी भजदूरों के प्रशिक्षित का भुगतान
			योग		0.00	32.31	32.31	32.31	32.31	32.31		

आवंटित राशि - रुपये लाख एकत्रीत हजार मात्र।


(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अमि.)


(रमेश कुमार दुबे)
विशेष सचिव


(अरुण कुमार सिंह)
उपर मुख्य सचिव